N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** जबलपुर **P.S. (थाना):** शहपुरा

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0123 **Year (वर्ष):** 2026

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 23/02/2026 21:52 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	290
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	324(5)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	125
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 23/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 23/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/02/2026

Time (समय): 21:40 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 041

Date & Time (दिनांक और समय): 23/02/2026 21:52

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Oral

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 03 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) **Address (पता):** अमन ढाबा के पास एनएच45,रोड पर बना ओवरब्रिज शहपुरा

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
(a) **Name (नाम):** राकेश मोरे
(b) **Father's Name (पिता का नाम) :** रावजी मोरे
(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1988 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत
(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**
(f) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	फ्लैट न406 ए प्लेटिनम,अपार्टमेन्ट सिविल लाईन जबलपुर ,सिविल लाईन, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	फ्लैट न406 ए प्लेटिनम,अपार्टमेन्ट सिविल लाईन जबलपुर ,सिविल लाईन, जबलपुर,मध्य प्रदेश,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**
(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**
Mobile (मोबाइल सं.): 91-9993869635

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	विनोद जैन/vinod jain			1. अज्ञात ,अज्ञात
2	हुकुम सिह परमार /hukum singh parmar			1. अज्ञात ,अज्ञात

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मै संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम जबलपुर मे पदस्थ हूँ। मुझे जानकारी मे है कि एनएच 45 रोड पर बना ओवरब्रिज शहपुरा का एक तरफ का हिस्सा सितंबर 2025 मे ढह जाने से मरम्मत का कार्य चल रहा था।मरम्मत का कार्य चलने से एनएच 45 (पुराना एनएच12)पर आवागमन वनवे चालू था। मुझे दिनांक 22.02.2026 को शाम करीब 04.30 बजे मे वागड़ इन्फ्रा प्रा लि एवं मेसर्स सोरथिया वेल्जी रतना (जे व्ही) कंपनी के मैनेजर अवनीश त्रिपाठी के द्वारा फोन के माध्यम से सूचना दी गई कि एनएच 45(पुराना एनएच12) रोड शहपुरा पर मरम्मत ओवरब्रिज की दूसरी लेन पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी है। प्राप्त सूचना पर मैने तत्काल अपने अधीनस्थ सहायक महाप्रबंधक जुबैर अंसारी को घटनास्थळ पहुचने के लिए आदेशित किया बाद मै घटनास्थळ के लिए रवाना हुआ जहां घटनास्थळ पहुचकर मेरे द्वारा घटनास्थळ का जायजा लिया गया। एनएच 45(पुराना एनएच12) रोड शहपुरा पर बना ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त पर कोई जन हानि नही हुई थी। एनएच 45(पुराना एनएच12) ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने से आवागमन अवरुद्ध हो गया था व जबलपुर भोपाल रूट पर आने जाने का रास्ता पूर्णतः ब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मेरे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शहपुरा को रास्ता बंद करने हेतु बताया गया। मेरे द्वारा एनएच 45(पुराना एनएच12) ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जायजा लेने पर पाया कि एनएच 45(पुराना एनएच12) रोड शहपुरा का ठेका लेने वाली कंपनी मे वागड़ इन्फ्रा प्रा लि एवं मेसर्स सोरथिया वेल्जी रतना (जे व्ही) कंपनी लि.अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विनोद जैन बंसवारा (राजस्थान) व मेसर्स आई. सी. टी. प्रा. लि. नई दिल्ली के टीम लीडर हुकुम सिंह परमार के द्वारा उक्त ओवरब्रिज बनाने मे उपयुक्त सही सामग्री का उपयोग नही किया गया है एवं ओवरब्रिज बनाने मे म.प्र.सडक विकास निगम जबलपुर के दिये निर्देशो व दायित्वो का पालन नही किया गया। ब्रिज बनाने मे आवश्यक सुरक्षा व ब्रिज की मजबूती को ध्यान मे न रखते हुए ब्रिज निर्माण मे घोर लापरवाही की गई है। जिस संबंध मे मै थाना शहपुरा उपस्थित आकर मे वागड़ इन्फ्रा प्रा लि एवं मेसर्स सोरथिया वेल्जी रतना (जे व्ही) कंपनी लि.अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विनोद जैन बंसवारा (राजस्थान) व मेसर्स आई. सी. टी. प्रा. लि. नई दिल्ली के टीम लीडर हुकुम सिंह परमार व अन्य के विरुद्ध ब्रिज निर्माण मे लापरवाही बरतने व आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम न करने के कारण एनएच 45(पुराना

 13. A

एनएच12) रोड शहपुरा के ब्रिज क्षतिग्रस्त पाया जाने से उक्त कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता विनोद जैन व मेसर्स आई. सी. टी. प्रा. लि. नई दिल्ली के टीम लीडर हुकुम सिंह परमार के विरुद्ध एक लिखित आवेदन देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट करने आया हूँ ,रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जाए। मेरे द्वारा दिया गया आवेदन जैल है क्रमांक. /डी.एम/एम.पी.आर.डी.सी/ जबलपुर, दिनांक -02-2026 सेवा में, थाना प्रभारी महोदय, थाना-शहपुरा जिला जबलपुर (म.प्र.) विषय:-राष्ट्रीय राजमार्ग क्र 12 (नया क्र 45) पर ग्राम शहपुरा के निकट क्षतिग्रस्त आरओबी के अनुरक्षण एवं सुधार में लापरवाही, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति एवं जन-सुरक्षा को संकट में डालने के कारण संबंधित ठेकेदार मे वागड़ इन्फ्रा प्रा लि एवं मेसर्स सोरथिया वेल्जी रतना (जे व्ही) कंपनी लि. बंसवारा (राजस्थान) एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री विनोद जैन व मेसर्स आई. सी. टी. प्रा. लि. नई दिल्ली के श्री हुकुम सिंह परमार- टीम लीडर के विरुध्द एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सार्वजनिक संरचना (आर.ओ.बी. की रिटेनिंग वल) का निर्माण संबंधित ठेकेदार द्वारा अनुबंध दिनांक 19.12.2017 अनुसार दिनांक 07.02.2022 को पूर्ण किया गया था, जो उनके गुण-दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत है।कि.मी. 28 पर स्थित आर.ओ.बी. ए 2 भोपाल दिशा की ओर स्थित रिटेयनिंग वाल दिनांक 09.09.2025 को ध्वस्त हो गई थी जिसके संबंध में म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा सी.आर.आर.आई. नई दिल्ली को नियुक्त किया जिनसे दिनांक 13.09.2025 को तकनीकी परामर्श प्राप्त किया गया जिनके द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया कि निर्माण के दौरान सही सामग्री का उपयोग नहीं किया गया एवं किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण मानकों अनुसार नहीं किया गया जिसेके संबंध में विभाग द्वारा कई बार ठेकेदार को नोटिस जारी किए गये एवं उक्त कारणों से दिनांक 02.01.2026 को मे वागड़ इन्फ्रा प्रा लि एवं मेसर्स सोरथिया वेल्जी रतना (जे व्ही) कंपनी लि. बंसवारा (राजस्थान) को प्रतिबंधित (Debarred) किया गया।यह भी उल्लेखनीय है की, मेसर्स आई. सी. टी. प्रा. लि. नई दिल्ली उक्त मार्ग की पर्यवेक्षण सलाहकार थी जिनकी देख रेख हुए उक्त कार्य में श्री हुकुम सिंह परमार-टीम लीडर द्वारा भी अपने दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया एवं उनकी निरीक्षण रिपोर्ट में यह पाया गया की तत्पश्चात पुनर्स्थापन/सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारंभ किया गया, किंतु दिनांक 22.02.2026 को सायं लगभग 4:40 बजे उसी संरचना का शेष भाग भी ध्वस्त हो गया।उक्त घटनाक्रम से निम्न तथ्य प्रथम दृष्टया स्थापित होते हैंगुण-दोष दायित्व अवधि में,निवार्य अनुरक्षण एवं निगरानी दायित्वों का पालन नहीं किया गया।पूर्व में संरचना में आई क्षति के उपरांत भी आवश्यक सुरक्षा एवं संरचनात्मक स्थायित्व सुनिश्चित नहीं किया गया। 2.घोर लापरवाही एवं आपराधिक कृत्य के कारण सार्वजनिक संपत्ति को गंभीर क्षति हुई।उक्त घटना सेराष्ट्रीय राजमार्ग की सार्वजनिक संपत्ति को व्यापक आर्थिक हानि हुई,मार्ग से गुजरने वाले आम नागरिकों के जीवन एवं सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ,यातायात बाधित होने से आमजन को भारी असुविधा एवं जोखिम उठाना पड़ा,संबंधित प्राधिकरण की साख एवं विश्वसनीयता को आघात पहुंचा। उपरोक्त कृत्य भारतीय न्याय संहिता तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।अतः निवेदन है कि प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित ठेकेदार /कंपनी मे वागड़ इन्फ्रा प्रा लि एवं मेसर्स सोरथिया वेल्जी रतना (जे व्ही) कंपनी लि. अधिक्रत हस्ताक्षरकर्ता श्री विनोद जैन व मेसर्स आई. सी. टी. प्रा. लि. नई दिल्ली के टीम लीडर हुकुम सिंह परमार व अन्य के विरुद्ध विधिसम्मत धाराओं में एफ.आई.आर. पंजीबद्ध कर विधि अनुसार आपराधिक जांच एवं कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सहपत्र : अनुबंध की प्रति एवं कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र की छायाप्रति, सीआरआरआई की रिपोर्ट की छायाप्रति व डीबारमेन्ट लेटर की छायाप्रति संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम जबलपुर (म.प्र.) प्र. क्र./डी.एम/एम.पी.आर.डी.सी/ जबलपुर, दिनांक -02-2026 प्रतिलिपी :-निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।कलेक्टर, जबलपुर जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। पुलिस अधीक्षक, जबलपुर जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित। संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम जबलपुर (म.प्र.)

एन.सी.आर.बी
च फार्म -I)

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।)

or (या)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): PRAVIN KUMAR DHURVE(I (Inspector)) /

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):**
No.(सं.):
Rank (पद):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)
Name (नाम): प्रवीण सिंह धुर्वे
Rank (पद): निरी

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name (नाम):PRAVIN KUMAR DHURVE
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म	Build (बनावट)	Height (cms.)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					

Deformities/	Teeth	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
14	15	16	17	18	19	20